न्यायालय सिविल जज सी0डि0, उन्नाव।
उपस्थित–संजय सिंह-II, (उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा J-O-Code UP 2140)

सरकार.....बनाम.....हरि किशोर उर्फ बउवा।

मु०अ०सं०-84/2018
मु०नं०-18/2026
धारा-60(1) आबकारी अधिनियम
थाना-सोहरामऊ, जनपद-उन्नाव।

दिनांक-29.06.2026

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। प्रार्थी/अभियुक्त **हरि किशोर उर्फ बउवा** ने जरिए विद्वान अधिवक्ता प्रार्थना पत्र बाबत जुर्म इकबाल प्रस्तुत कर कथन किया है कि, उपरोक्त वाद में प्रार्थी अभियुक्त है। वह गरीब व्यक्ति है मुकदमा नही लड़ना चाहता है इसलिए अपना जुर्म इकबाल करना चाहता है। प्रार्थी निर्धन व्यक्ति है तथा सरकार से मुकदमा नही लड़ना चाहता है। अतः प्रार्थी के जुर्म स्वीकार के आधार पर उपरोक्त वाद को निस्तारित करने की याचना की गई है।

अभियुक्त की ओर से बिना किसी भय, दबाव व स्वेच्छा से अपराध की संस्वीकृति का कथन किया गया है। अभियुक्त के अपराध संस्वीकृति के आधार पर अभियुक्त दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त **राजेश** को **मु०सं०-18/2026, मु०अ०सं० 84/2018,** अन्तर्गत **धारा-60(1) आबकारी अधिनियम, थाना-सोहरामऊ, जिला-उन्नाव** के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त को मु०-1200/-रू० के अर्थदण्ड व पूर्व में न्यायिक अभिरक्षा में बिताई गई अवधि व आज न्यायालय अवधि के कारावास के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की दशा में अभियुक्त तीस दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा व्यतीत करेगा। अभियुक्त के प्रतिभू को उन्मोचित किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल-दफ्तर हो।

दिनांक–29.06.2026

(संजय सिंह-II)
सिविल जज सी0डि0, उन्नाव।
जे०ओ०कोड-यूपी 2140

उक्त निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उद्घोषित किया गया।

दिनांक–29.06.2026

(संजय सिंह-II)
सिविल जज सी0डि0, उन्नाव।
जे०ओ०कोड-यूपी 2140